न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, गवालियर (म.प्र.)

रेस्टो=1856-PBR-14-

प्रकरण क्रं. ..../2014

देवचंद पुत्र सुम्मा हरिजन आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम खुमारी
तह. गैरतगंज जिला रायसेन म.प्र. मो. पी.पी.8349542950

श्री ...के. के. ...... द्वारा आज दि. 23.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 घासीराम पुत्र श्री हरिसिंह हरिजन आयु 40 वर्ष

2 श्रीमति लछिया वाई वेवा सुम्मा हरिजन आयु 65 वर्ष दोनों निवासीगण ग्राम खुमारी पोस्ट देवरी तह. गैरतगंज जिला रायसेन म. प्र.

M.K. Dwivedi
23/6/14

....अनावेदक/प्रतिनिगरानीकर्तागण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 35 (2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता एवं आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो0 1856–पीबीआर/14 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 692–पीबीआर/05 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2009, जिससे प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है, के विरूद्ध दिनांक 23–6–2014 को लगभग 4 वर्ष 5 माह विलंब से प्रस्तुत किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 में विलंब से प्रस्तुत करने का कारण यह बतलाया गया है कि आवेदक द्वारा श्री रमेश सक्सैना, अभिभाषक को नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रकरण में अंतिम आदेश होने पर उन्हैं सूचित कर दिया जायेगा । आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक से संपर्क करने पर उनके द्वारा कहा गया कि प्रकरण में जब भी अंतिम फैसला होगा उन्है सूचित कर दिया जायेगा । अंतिम बार आवेदक द्वारा जब दिनांक 1–5–2014 को अपने अभिभाषक श्री सक्सैना से मिला तब उनके द्वारा बतलाया गया कि	

उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क किया गया और अंतिम बार दिनांक 1–5–2014 को संपर्क किया गया । लगभग 4 वर्ष तक प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है । इस संबंध में 1992 राजस्व निर्णय 289 लंगरीबाई तथा अन्य वि0 छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 5–विलंब–सद्भाविक–अर्थ–कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जॉच करने का कोई कदम नहीं उठाया–पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है–इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में विलंब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवेदक का यह दायित्व था कि उनके अभिभाषक द्वारा सही जानकारी नहीं देने पर उन्हैं इस न्यायालय से जानकारी प्राप्त करना चाहिये थी